COURT OF CIVIL JUDGE (S.D.), RAMPUR

CM No. 242/2022 (Reg No. 494/2022)

(Related OS. No. 149/2019)

Mohd. Ikram Mueen Ahmad Swami Firm Vs. Krishi Utpadan Mandi Samiti & Ors.

DATE	ORDER SHEET	
08-08-2024	प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते सुनवाई नियत है। प्रार्थना पत्र 4 ग पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। **<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 4 ग</u>** प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 4 ग मय शपथपत्र 5 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मूलवाद सं० 149/2019 में अंतिम बहस हेतु दिनांक 16–11–2022 नियत थी, किन्तु उपचुनाव की स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने कचहरी में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण वादी अनुपस्थित रहा और वादी की अनुपस्थिति के कारण वादी का वाद निरस्त कर दिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांकी 16–11–2022 को अपास्त फरमाकर मूलवाद सं० 149/2019 मौहम्मद इकराम बनाम कृषि उत्पादन मण्डी समिति को पुनः नम्बर पर कायम किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है। सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 16–11–2022 को मूलवाद सं० 149/2019 मौहम्मद इकराम बनाम कृषि उत्पादन मण्डी समिति आदि, पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी /वादी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त मूलवाद में नियत दिनांक को प्रार्थी को तेज बुखार था तथा उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कचहरी में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिस कारण वह हाजिर अदालत नहीं हो सका था और न्यायालय द्वारा मूलवाद को पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18–11–2022 को यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत कर दिया गया, जो समयान्तर्गत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16–11–2022 को अपनी अनुपस्थिति का जो कारण दर्शाया गया है, वह इस स्तर पर पर्याप्त प्रतीत होता है। विधि की मंशा है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर वाद का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकीर्ण वाद सं० 242/2022 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। **<u>आदेश</u>** प्रकीर्ण वाद सं० 242/2022 स्वीकार किया जाता है। मूलवाद सं० 149/2019 मौहम्मद इकराम बनाम कृषि उत्पादन मण्डी समिति आदि में पारित आदेश दिनांकित 16–11–2022 को अपास्त किया जाता है। मूलवाद सं० 149/2019 मौहम्मद इकराम बनाम कृषि उत्पादन मण्डी समिति आदि अपने मूल नम्बर पर कायम होकर दिनांक 06–09–2024 को पेश हो। (अम्बरीष त्रिपाठी) सिविल जज (प्रवर वर्ग) रामपुर।	

Digitally signed by Ambareesh Tripathi
Date: 2024.08.08 16:53:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court